

तारीख
हुक्म

11.7.2019

पत्रावली वपने पिठम पेठा हूवे।
 मामला बल प्रकार है कि मौजा निलोह
 तहसील, रूपालसागर के हके जेजनी मे
 खता सं 398 की आ.नं. 1592, 1597
 मित 2 खता 0.75 है. खता सं 403 के
 आ.नं. 1563 खता 0.60 है. आ.नं.
 1564 खता 0.12, आ.नं. 2896/1562
 खता 0.08 है. मित 3 खता 1.30 है. खता
 संख्या 416 के आ.नं. 1593, 1596, 1705
 कुल मित 3 कुल खता 0.65 है. खता संख्या
 399 के आ.नं. 1098, 1116 मित 2 खता. 25
 खता संख्या 388 आ.नं. 1656, 1658, 1677
 1678, 1694, 1695, 1701, 1702, 1704
 मित 9 कुल खता 1.88 है. पिछले हल
 वए के वारी सं. 152 का प्रमेठ खते मे
 424 दिना, प्रल वए के वारी सं. 364
 का प्रमेठ खते मे प्रमेठ का 1/6 दिना और
 देवीलाल के वारीसन पिछला खता संख्या
 416 मे 1/4 दिना दर्प है। मह कि अत्रार्थी
 संख्या लठ खाये दिन हमारे हके हुना
 आरागीमत मे अत्रार्थी वार प्रवेदा करता है
 आरागीमत अनुगत दर्प है अत्रार्थी संख्या
 1 बिना विभाजन हमारे हमारी आरागीमत
 को बेचने की पत्रों की अत्रार्थी संख्या।
 जो अस्वार्थ निषेधा के पारतन्दीया
 पत्रे वाक्य प्रत्येक पर तजुतरिया
 हमारे अनुगत पत्रावली का अनुगत किया
 विवाहित आरागी अनुगत खते मे भूमि है, अत्रार्थी
 वाफ मत आरागी के सह-स्वामी है। अत्रार्थी
 को उनके हिलने की भूमि को विरप वपे मे
 बन्धित रही किया जा सकता है। अतः अस्वार्थ
 निषेधा का उल आराय की पारी की जाती है कि
 अत्रार्थी विवाहित विभाजन होने लठ मित्री लठ
 विशेष आरागी का बेचान या करे 10.



अदालत
 मुकदमा
 तारीख
 हुक्म

(आ) कलकत्ता
 सहायक कलेक्टर एवं
 सहायक मजिस्ट्रेट एवं
 सहायक जज

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत

मुकाम

अमिताभ

बनाम

मांजी लाल

केसम मुकदमा

नं.

17

सन्

2019

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अप्रवाजिन को अपने दिन्ने की भूमि बेचा
गर्ने पर कोर्ब रोक रही है। पत्रावली
केवल मुद्रा क्षेत्र के रूप में
आवेदा सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(अधिवक्ता गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपस्थान अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)